दिनांक – 09 फरवरी, 2021

विषय : दिनांक 03 मार्च, 2017 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2017 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानदंड तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 13 के साथ पठित धारा 11 की उप धारा (1) की खंड (ख) की उप धारा (**v**) के तहत मैसर्स काल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड को निदेश

संख्या डी–2/1/(1)/2021– बी एंड सीएस(2): जबकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा जाएगा), जिसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 1997 का 24) (जिसे इसके पश्चात् भादूविप्रा प्राधिकरण कहा जाएगा), की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत कतिपय कार्यकरणों का निवर्हन करने के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ– साथ दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने; सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करने और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया था ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके;

2. और जबकि, केन्द्र सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (दूरसंचार विभाग), ने अपनी अधिसूचना संख्या 39 के माध्यम से ––

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 2 की उप धारा (1) की खंड (ट) के परंतुक के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया, और

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II , धारा 3 – उप धारा (ii) में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 44(ई)के तहत प्रकाशित ––

ने दूरसंचार सेवाओं की प्रसारण सेवाओं और केबल सेवाओं को अधिसूचित किया है;

3. और जबकि प्राधिकरण ने एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नया विनियामक ढ़ांचा अधिसूचित किया है, जिसमें निम्नवत को शामिल किया गया है:–

(क) दिनांक 03 मार्च, 2017 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2017 (जिसे इसके पश्चात् ''प्रशुल्क आदेश, 2017'' कहा जाएगा); ;

(ख) दिनांक 03 मार्च, 2017 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017; और

(ग) दिनांक 03 मार्च, 2017 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् ''क्यूओएस विनियम, 2017'' कहा जाएगा);

4. और जबकि, प्रशुल्क आदेश, 2017 की खंड 4 की उप खंड (1) (यथा संशोधित), नेटवर्क क्षमता शुल्क की घोषणा तथा टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा चैनलों की पेशकश करने की पद्धति का उपबंध करता है, जोकि निम्नवत पठित है:–

''4. नेटवर्क क्षमता शुल्क की घोषणा तथा टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा चैनलों की पेशकश करने की पद्धति ––टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्षमता का लाभ उठाने के लिए सब्सक्राइबर द्वारा प्रतिमाह भुगतान किया जाने वाली नेटवर्क क्षमता शुल्क की घोषणा करेगा ताकि टेलीविजन चैनलों का सिग्नल प्राप्त किए जा सकें:

बशर्ते कि प्रारंभिक दो सौ एसडी चैनल तक प्राप्त करने के लिए प्रतिमाह नेटवर्क क्षमता शुल्क किसी भी मामले में, कर के अलावा, एक सौ तीस रूपये से अधिक नहीं होगा:

बशर्ते आगे कि दो सौ से अधिक एसडी चैनलों को प्राप्त करने के लिए प्रतिमाह नेटवर्क क्षमता शुल्क किसी भी मामले में, कर के अलावा, एक सौ साठ रुपये से अधिक नहीं होगा:

बशर्ते यह भी कि टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर, अपने सेवा क्षेत्र के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न नेटवर्क क्षमता शुल्क की घोषणा करने के लिए मुक्त होगा तथा वह प्रत्येक क्षेत्र के लिए ऐसी नेटवर्क क्षमता शुल्क का ब्योरे को प्राधिकरण को संसूचित करेगाः

बशर्ते यह भी कि किसी 'मल्टी टेलीविजन घर में प्रत्येक अतिरिक्त टेलीविजन कनेक्शन के लिए प्रतिमाह नेटवर्क क्षमता शुल्क किसी भी मामले में, घोषित की गई नेटवर्क क्षमता शुल्क के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।''

बशर्ते यह भी कि सब्सक्राइब की गई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्षमता के भीतर चैनलों की संख्या का परिकलन करने के उद्देश्य से एक एचडी चैनल को दो एसडी चैनल के समतुल्य माना जाएगा'';

5. और जबकि क्यूओएस विनियम, 2017 का विनियम 31, डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा वेबसाइट की स्थापना का उपबंध करता है, जो निम्नवत पठित हैः–

'' 31. वेबसाइट की स्थापना – (1) टेलीजिवन चैनलों के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर, उसके द्वारा पेशकश की जाने वाली टेलीविजन से संबंधित प्रसारण सेवाओं की जानकारी के प्रचार तथा उपभोक्ता की जागरूकता के उद्देश्य के लिए एक वेबसाइट की स्थापना और रखरखाव करेगाः

बशर्ते कि टेलीविजन चैनलों के किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसी वेबसाइट को बनाने तथा उसके प्रचालन के लिए किसी एजेन्सी की सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति होगीः

बशर्ते आगे कि इन विनियमों के उपबंधों के अनुपान का उत्तरदायित्व, टेलीजिवन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर का होगा।

(2) टेलीजिवन चैनलों के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर, वेबसाइट के होमपेज पर ''कन्ज्यूमर कार्नर'' नाम का एक हॉयपरलिंक उपलब्ध कराएगा, जो स्पष्टरूप से दृष्यमान होगा तथा बिना 'पेज को आगे– पीछे किए' वेबसाइट पर आने वाले आगंतुकों के ध्यान में सुलभता से आएगा।

(3) उप विनियम (2) में संदर्भित ''कन्ज्यूमर कार्नर'' हॉयपरलिंक अन्य वेब पृष्ठ पर इंगित करेगा जहां इन विनियमों की अनुसूची– II के अनुरूप जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) उप विनियम (3) में संदर्भित वेब पृष्ठ में सब्सक्राइबरों द्वारा 'लॉग–इन' करने संबंधी व्यवस्था होगी ताकि इन विनियमों की अनुसूची– III के अनुरूप सब्सक्राइबर संबंधित ऐसी जानकारी तक पहुंच बना सकें'';

6. और जबकि, प्राधिकरण द्वारा यह पाया गया था कि मैसर्स काल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड ने नए विनियामक ढ़ांचे के उपबंधों का पूर्णरूप से अनुपालन नहीं किया है, और इस प्रकार के उल्लंघन के लिए मैसर्स काल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड की टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु दिनांक 20 जुलाई, 2020 का एक कारण बताओ नोटिस संख्या 12–18/2020–बीएंडसीएस जारी किया गया था;

7. और जबकि, कारण बताओ नोटिस के उत्तर में मैसर्स काल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उनके दिनांक 03 अगस्त, 2020 के पत्र पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया तथा निम्नवत कारणों से उसे संतोषजनक नहीं पाया गया। जैसा कि मैसर्स काल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उल्लेख किया गया है संशोधित एनसीएफ का कार्यान्वयन प्रसारक द्वारा अलाकार्ट अथवा बुके की दरों की घोषणा से संबद्ध नहीं है और मुख्यरूप से डीपीओ के क्षेत्राधिकार में आता है। इसके अलावा, इस धारणा के संबंध में कि दूसरा अथवा अतिरिक्त टेलीविजन कनेक्शन नहीं है, यह स्वीकार किया जाता है कि वर्तमान में अतिरिक्त टेलीविजन वाले कोई सब्सक्राइबर नहीं हो सकते हैं, परंतु सब्सक्राबरों के पास इसके विकल्प का चयन करने के लिए विकल्प खुले हैं, और जिस मामले में एनसीएफ की घोषणा नहीं किए जाने से, मैसर्स काल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड, सब्सक्राइबरों को जानकारी प्रदान नहीं कर रहा है तथा इस प्रकार वह प्रशुल्क आदेश, 2017 की खंड 4 का गैर– अनुपालन नहीं कर रहा है;

8. और जबकि, दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के पत्रांक संख्या 12–99/2019– बीएंडसीएस के माध्यम से मैसर्स काल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड से प्रशुल्क आदेश, 2017 के अनुसार संशोधित एनसीएफ सहित, नए विनियामक ढ़ांचे में अंतर्विष्ट विनियामकारी उपबंधों के गैर– अनुपालन से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां/ अनुपालन संबंधी ब्योरा मांगा गया था;

9. और जबकि, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 के ई– मेल के माध्यम से मैसर्स काल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड ने जानकारी प्रदान की कि, ''भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिए गए सभी सुझावों को लागू किया गया है तथा उन्हें तदनुसार संसूचित किया गया है''। तथापि, यह पाया गया कि वेबसाइट पर संशोधित एनसीएफ को अद्यतन करने के संबंध में मैसर्स काल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रशुल्क आदेश, 2017 का अनुपालन नहीं किया, जिसे क्यूओएस विनियम, 2017 के उपयुक्त विनियमों की अनुसूची– प्प की प्रविष्टि 2 के साथ पठित विनियम 31 के उप विनियम (3) के माध्यम से भी अधिदेशित किया गया है;

10. इसलिए, अब, प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 1997 का 24) की धारा 13 के साथ पठित धारा 11 की उप धारा (1) की खंड (ख) की उप खंड (v) के तहत अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैसर्स काल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड को अपनी वेबसाइट पर संशोधित एनसीएफ को अद्यतन करने के लिए दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2017 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानदंड तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 के उपबंधों का अनुपालन करने, और इस निदेश के जारी किए जाने की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर प्राधिकरण को अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निदेश देता है, ऐसा नहीं किए जाने पर मैसर्स काल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध मौजूदा विनियामक उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(देवेन्द्र द्विवेदी)
संयुक्त सलाहकार (बीएंडसीएस)

प्रेषिति,

श्री एम. नाटेसन,
मैसर्स काल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
नम्बर 229ए कुट्टुचेरी रोड, मायलापोर,
चेन्नई (तमिलनाडु),
पिन– 600004